न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
30/2025/प्रा.पत्र/2025	19.03.2025	22.05.2025

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री पंकज कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन निवासी मायला बाग निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स प्रेमचन्द पवन कुमार प्रताप स्टेडियम के पास सरस्वती स्कूल के पास निवाई जिला टोंक राज0। पिनकोड–304021 मोबाईल नं0 7737329242।
2–मैसर्स प्रेमचन्द पवन कुमार प्रताप स्टेडियम के पास सरस्वती स्कूल के पास निवाई जिला टोंक राज0 ।पिनकोड–304021।

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii),(v) एवं दण्डनीय धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी श्री पंकज कुमार जैन स्वयं उपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 22/5/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.11.2024 को समय 11:30 ए.एम. पर मैसर्स प्रेमचन्द पवन कुमार प्रताप स्टेडियम के पास सरस्वती स्कूल के पास निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री पंकज कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स प्रेमचन्द पवन कुमार प्रताप स्टेडियम के पास सरस्वती स्कूल के पास निवाई जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री पंकज कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री पंकज कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया तथा मौके खाद्य अनुज्ञा पत्र ऑनलाईन आवेदन करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड़, तेल, घी, मसाले के साथ–साथ दुकान में कागज के 8 कार्टूनों में 200–200 एम.एल. पैक के 520 नग मूल पेक पैक्ड अवस्था में **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री पंकज कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री पंकज कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** जिसके बैंच नम्बर (ए)14 एव पैंकिग की दिनांक अगस्त 2024 थी, वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, दुकान में कागज के 8 कार्टूनों में 200–200 एमएल पैक के 520 नग मूल पैक पैक्ड अवस्था **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** में से 200–200 ग्राम के 8 मूल पैक वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** 8 मूल पैक प्रत्येक 200–200 एम.एल. पैक को ज्यों का त्यों 2–2 पैक प्रत्येक 200–200 एम.एल. को अलग–अलग खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार 4 भाग तैयार किये, नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाईट कर लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–4191 दर्ज कर, विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4191 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की। शेष बचे खाद्य पदार्थ **घी कृष्णा ब्राण्ड** कुल मात्रा 104 लीटर को खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अन्तर्गत नियमानुसार सीज कर श्री पंकज कुमार जैन की सुरक्षित अभिरक्षा में सम्भलवाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विकेता श्री पंकज कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन मैसर्स प्रेमचन्द पवन कुमार प्रताप स्टेडियम के पास सरस्वती स्कूल के पास निवाई जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/1604 दिनांक 23.12.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/4932/एक्ट/2024/4848 दिनांक 06.12.2024 के अनुसार विकेता से वास्ते नमूना जांच कय किया गया **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx)के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन (विकय प्रतिषेघ एवं निर्बधन) नं. 2.3.7(2) के अनुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विकेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पंकज कुमार जैन स्वयं उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** का विकय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है। उक्त **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** जांच में **कॉन्ट्रावेन** (**Contravene**)व **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन** (**Contravene**) व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii), (v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 1,00,000/-(अक्षरे एक लाख रूपये) आरोपित की जाती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा खाद्य पदार्थ के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करे। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में जब्तशुदा सैंपल को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/5/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0